न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–428/15 (आरसीएमएस नं. 015/00067)

1. बजरंगलाल पुत्र स्व. श्री जगदीश,
2. मुकेश पुत्र स्व. श्री जगदीश,
3. सीमा देवी पुत्री स्व. श्री जगदीश,
4. मु0 सोहनी देवी बेवा स्व. श्री जगदीश, जाति जाट, निवासी ग्राम किशोरपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. गोपाल पुत्र उगमा, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बाछेड़ा, तहसील पचेवर, जिला टोंक, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट

2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये उप तहसीलदार माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर

––प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 27.05.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, (द्वितीय) जयपुर के आदेश दिनांक 29.09.2015 (प्रकरण संख्या 21/2013) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम समेलिया, तहसील फागी जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 986 रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा के साथ अन्य खसरा नम्बरान 995 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 996/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 1019 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 1021 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 1066 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा व खसरा नम्बर 1015 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा कुल रकबा 37 बीघा 13 बिस्वा भूमि श्री द्वारकानाथ पुत्र श्री गोपीनाथ पुरोहित की खातेदारी की भूमि थी, श्री द्वारकानाथ पुत्र श्री गोपीनाथ पुरोहित के पास कुल भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने की वजह से राजस्थान (कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण) अधिनियम 1973 के अन्तर्गत श्री द्वारकानाथ पुराहित के विरूद्ध सीलिंग का मुकदमा चला और दिनांक 23.09.1975 को सीलिंग का निर्णय होकर सीलिंग सीमा से अधिक भूमि को राज्य सरकार के अधीन लिये जाने का आदेश पारित किया गया जिसकी क्रियान्विति में नामान्तरकरण संख्या 573 दिनांक 06.07.1983 को तहसीलदार फागी द्वारा तस्दीक किया जाकर उपरोक्त वर्णित भूमि को सीलिंग अधिकग्रहित भूमि के रूप में राजस्थान राज्य सरकार के नाम अंकित कर दिया गया जिसके विरूद्ध किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपील इत्यादि प्रस्तुत नही किये जाने के कारण वह आदेश अंतिम हो गया।

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्थान (कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण) अधिनियम 1973 की धारा 21 के अन्तर्गत सीलिंग सरप्लस भूमि का आवंटन किये जाने का निर्धारिण किया गया, आवंटन सलाहकार समिति की राय के अनुसार उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक ने दिनांक 08.07.1983 के आवंटन आदेशों द्वारा कुल 9 आवंटन आदेश पारित किये गये जिनमें से अपीलार्थीगण एवं उनके पूर्वजों के 5 आवंटनों के विरूद्ध वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के समक्ष 5 अपीलें प्रस्तुत की गई जिन्हे न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा बाद उभयपक्ष की सुनवाई आवंटन आदेशों को न्यायोचित होना मानते हुये रेस्पोडेन्ट की पांचों अपील आदेश दिनांक 25.06.1984 से खारिज की जाकर आवंटन आदेशों को बहाल रखा गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त आवंटन आदेशों के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट की उक्त पांचों अपीलें खारिज होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पॉच द्वितीय अपील राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 27.04.1987 द्वारा खारिज करते हुए आवंटन आदेशों को बहाल रखा गया है। ऐसी स्थिति में जब अपीलार्थीगण के पक्ष में हुए आवंटन अपीलीय न्यायालयों द्वारा बहाल रखा गया है तो उक्त आवंटन आदेशों की पालना में स्वीकार किये गये नामान्तरकरणों को खारिज करने के ठोस आधार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को बिना समझे ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2015 पारित किये गये है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपरोक्त आवंटन आदेशों को अतिरिक्त कलक्टर द्वितीय जयपुर तथा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने बहाल रखा था उन आवंटन आदेशों में निहित भूमि तथा अन्य भूमि के सम्बन्ध में गोपाल पुत्र उगमा गुर्जर ने सहायक जिलाधीश दूदू के समक्ष इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु एक दावा दिनांक 16.09.1987 को प्रस्तुत कर दिया जो स्थानान्तरित होकर वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष वाद संख्या 383/2007 उनवानी गोपाल बनाम नारायण व अन्य विचाराधीन है। उन्होने आगे कथन किया है कि दिनांक 08.07.1983 के उक्त उपरोक्त वर्णित आवंटन आदेशों के आधार पर सभी पांचों आवंटियों के नाम राजस्व भू अभिलेखों में गैर खातेदार कृषक के रूप में अंकित हो गये और सभी पांचों आवंटन आदेशों के आवंटियों के नाम गैर खातेदार से खातेदारी के नामान्तरकरण भी दिनांक 07.02.2013 को नियमानुसार प्रशासन गांवों से शहर अभियान में समस्त ग्रामवासियों के समक्ष तस्दीक कर दिये गये और राजस्व भू अभिलेखें में उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि उपरोक्त वर्णित आवंटियों के नाम खातेदारी में चली आ रही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रशासन गांवों की ओर अभियान में जब दिनांक 07.02.2013 को गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण तस्दीक हुआ तब तक कभी किसी व्यक्ति ने भूमि विवादग्रस्त पर रेस्पोडेन्ट के अधिकारों को किसी प्रकार की कोई चुनौती नही दी और

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

रेस्पोडेन्ट का नाम गैर खातेदार के रूप में अंकित चला आ रहा है। उन्होने कथन किया है कि दिनांक 07.02.2013 को नियमानुसार प्रशासन गॉवों से शहर अभियान में समस्त ग्रामवासियों के समक्ष फर्द मौका मजमेआम दिनांक 05.02.2013 पटवारी हल्का किशोरपुरा व भू–अभिलेख तहसीलदार फागी की रिपोर्ट दिनांक 05.02.2013 के आधार पर गैर खातेदारी से खातेदारी के नामान्तरकरण तस्दीक किये गये जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा बिना किसी लोकस स्टेण्डाई के मियाद बाहर अपीले अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.09.2015 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने के विधि विरूद्ध आदेश पारित किये गये है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जब अपीलार्थी के आवंटन आदेशों को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा बहाल रखे जाने का निर्णय पूर्व में ही पारित कर दिया गया जिसके विरूद्ध किसी प्व्यक्ति द्वारा कोई अपील इत्यादि प्रस्तुत नही किये जाने के कारण यह आदेश अंतिम हो गया तो फिर उस आवंटन आदेश की अनुपालना में तस्दीक नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील पोषणीय नही होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2015 को निरस्त फरमाया जाकर गैर खातेदारी से खातेदारी के नामान्तरकरण संख्या 1357 दिनांक 08.04.2013 को बहाल रखे जाने के आदेश पारित फरमायें जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि उक्त भूति विवादग्रस्त वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पूर्वजों के कब्जे काश्त की आराजी थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व से ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पूर्वजों का कब्जा काश्त चला आ रहा था किन्तु पर्चा द्वारका प्रसाद पुरोहित के नाम आ जाने से रेस्पोडेन्ट ने अपनी पूर्व से चली आ रही कब्जे काश्त की उक्त वर्णित विवादित भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.06.1978 को नियमानुसार क्रय कर लिया चूँकि विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों के समय से ही कब्जा काश्त था किन्तु वर्ष 1978 से दस्तावेजी साक्ष्य भी रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त बाबत बन गई। उन्होने आगे कथन किया है कि विवादित आराजी सम्वत 2032 से 2035 की खसरा गिरदावरी में भी व पटवारी रिपोर्ट मे भी विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा होने का उल्लेख अंकित है, इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित भूमि सम्पूर्ण पर रेस्पोडेन्ट का ही कब्जा काश्त निरन्तर एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है जिसके बावजूद भी सीलिंग अधिग्रहण के समय दूसरे गांव के कुछ व्यक्तियों को बिना कब्जे काश्त के ही अवैध तरीके से अपीलान्ट के स्वामित्व की भूमि में से कुछ भूमियो का आवंटन कर दिया जिसकी जानकारी होते ही रेस्पोडेन्ट ने उक्त आवंटन को शून्य घोषित

संभागीय आयुक्त
जयपुर

करवाने एवं विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार रेस्पोडेन्ट को घोषित करने का नियमित राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलक्टर दूदू के समक्ष दिनांक 16.09.1987 को ही प्रस्तुत कर दिया, जो विचाराधीन है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि उक्त घोषणा के वाद में अपीलान्ट के पिता/पति जगदीश जाट पक्षकार है जिसे उक्त वाद की पर्याप्त व पूर्ण जानकारी थी, तथा उन्हे इस तथ्य का भी बखूबी ज्ञान था कि विवादित आराजी को रेस्पोडेन्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.06.1978 को क्रय भी कर रखा है तथा घोषणा का नियमित वाद राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट के पिता/पति के हित में निष्पादित आवंटन अवैध तरीके से समस्त नियम व कायदों को दरकिनार करते हुए, भिन्न गांव के राजनैतिक पहुँच रखने वाले व्यक्तियो को धारा 17 के विपरित जारी किया गया है, ऐसी अवैध व दिखावटी आवंटन पत्र से आवंटी का कोई विधिक हक व अधिकारी उत्पन्न नही होते है जिसके बावजूद भी अपीलान्ट ने अपने राजनैतिक प्रभाव के कारण तथा राजस्व कर्मचारियों से साज रखते हुए अपनी पिता/पति के नाम के गैर खातेदारी के अंकन को राजस्व रिकार्ड से नही हटवाया अपितू साजिशपूर्वक अवैधानिक तरीके से दिनांक 07.02.2013 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में गैर खातेदारी से खातेदारी का अपीलाधीन नामान्तरकरण कब्जे के अभाव में तथा रिकार्ड के विपरित षड़यंत्रपूर्वक बाले–बाले ही खुलवा लिया जिसकी जानकारी होते ही रेस्पोडेन्ट ने नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत करके नकल मिलते ही उक्त अवैध नामान्तरकरण के विरूद्ध अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2015 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी द्वारकानाथ पुत्र गोपीनाथ के नाम दर्ज रिकार्ड रही है जो सीलिंग अधिग्रहण से आराजी राज्य सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड हुई है तत्पश्चात् उप जिलाधीश सांभर के आदेश दिनांक 08.07.1983 द्वारा आराजी का आवंटन अपीलान्ट के पूर्वज नारायण के नाम हुआ है एवं उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष होने पर उन्होने अपने आदेश दिनांक 25.06.1984 द्वारा आवंटन आदेश को यथावत कायम रखा गया है जिसके विरूद्ध अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में दायर होने पर न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 27.04.1987 से आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील को खारिज किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किया गया है जिससे उक्त आवंटन आदेश किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध

या शून्य घोषित किया जाना प्रतीत होता हो, तो फिर ऐसी स्थिति में आवंटन आदेश की पालना में स्वीकार किये गये नामान्तरकरण को निरस्त करने के ठोस आधार अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के समक्ष उपलब्ध ही नही रहे है, उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2015 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2015 को निरस्त किया जाता है एवं नामान्तरकरण संख्या 1357 दिनांक 08.04.2013 को बहाल किया जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।